

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी (अनाज) कोटा

क्रमांक :- 4793

दिनांक :- 31.03.2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

नयापुरा, कोटा

प्रसंग :- क्रमांक 5430 28.03.2023 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI

यूजर एजेन्सी का नाम :- KRISHI UPAJ MANDI SAMITY KOTA

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 96.00 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Kota District and kota Division

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/Others/20036/2016 29.06.2016

1	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में एन.एफ.एल./डी.एफ.एल. की योजना 500 पौधों एवं 700 पौधों के अनुसार प्रस्तुत की गयी है जबकि स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में गैर वन भूमि पर 400 एवं पारिभ्रषित वन भूमि पर 700 पौधों लगाया जाना अंकित किया गया है जो विरोधाभासी है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
2	मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन नहीं की गयी है।	उपरोक्त मुख्य वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
3	मुख्य वन संरक्षक द्वारा अभिशंषा पत्र ऑनलाईन नहीं की गयी है।	उपरोक्त मुख्य वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
4	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया गया है कि यूजर एजेन्सी द्वारा प्रकरण में ग्रीन बैल्ट से बाहर करने हेतु दिनांक 19.12.2022 को आवेदन किया गया है आवेदन की प्रति संलग्न नहीं है एवं इस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट आपकी टिप्पणी के साथ संलग्न की जानी है।	उपरोक्त मुख्य वन संरक्षक कोटा से संबंधित है। 19.12.2022 की आवेदन की प्रति संलग्न कर दी गई है।
5	लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 01.08.2017 अनुसार नवीन निर्देशों एवं नवीन दरों पर नहीं बनाया गया है।	संशोधित कर लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 01.08.2017 की प्रति संलग्न कर दी गई है।
6	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट I में मात्र अनन्तपुरा में 96 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन को प्रस्तावित की गई है जबकि उक्त भूमि अनन्तपुरा में 72.34 है एवं उम्मेदगंज में 23.66 है. वन भूमि प्रस्तावित है, ऑनलाईन संशोधन अपेक्षित है।	उक्त प्रस्ताव में केवल अनन्तपुरा से ही 96 हेक्टर वन भूमि प्रस्तावित है।

(जवाहर लाल नागर)

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा